लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्त

वित्त समिति की दिनांक 22 जुलाई, 2010 सायं 4:00 बजे कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

उपस्थिति

01.	प्रो0 एम. के. मिश्र,	कुलपति	{अध्यक्ष}
02.	प्रो0 यू. एन. द्विवेदी,	प्रति कुलपति	{सदस्य}
03.	श्रीमती अनीता मिश्रा,	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	{सदस्य}
04.	श्री ओ. पी. वर्मा,	विशेष सचिव {वित्त} उत्तर प्रदेश शासन	{सदस्य}
05.	प्रो0 यशवीर त्यागी,	परीक्षा नियंत्रक	{सदस्य}
06.	श्री जी. पी. त्रिपाठी,	कुलसचिव	{सदस्य}
07.	डा0 झूलन सिंह,	वित्त अधिकारी	{सचिव सदस्य}

बिन्दु संख्या –1

समिति द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 5/18 मार्च, 2010 की कार्यवृत्त की संपुष्टि सर्वसम्मति से निम्न संशोधन के साथ की गयी।

1. अन्य बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में संचालित स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एवं कैडर को डाईंग कैडर घोषित करने एवं उनकी वरिष्ठता सूची बनाने सम्बन्धी बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर लिया जाय और तदनुसार वित्त समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
2. Ph.D fee के Revision धनराशि के साथ उसके पूर्व का शुल्क ढाँचा भी अंकित कर दिया जाय।

बिन्दु संख्या –2

JEE B.Ed. 2010 की काउन्सिलिंग हेतु समन्वयक, JEE B.Ed. 2010 द्वारा तैयार किये गये आय–व्ययक पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोंपरान्त अनुमानित आय–व्ययक {संलग्नक के अनुसार} निम्नानुसार पारित किया गया।

{1} काउन्सिलिंग से अनुमानित आय– 5.00 करोड़
{2} काउन्सिलिंग पर अनुमानित व्यय– 2.82 करोड़

बिन्दु संख्या–3

कुलसचिव के द्वारा डा0 उमेश कुमार शुक्ल, अतिथि प्रवक्ता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं डा0 अमरजीत यादव {कोर फैकल्टी} के नियत वेतन को बढ़ाकर शासनादेश संख्या–214/70–4/2000–7{7}/94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवक्ता के वेतनमान का मध्य स्तर या उससे अधिक या कम दिये जाने के प्रॉविधान के अन्तर्गत रू0 10,750/– प्रतिमाह किये जाने के प्रस्ताव को वित्त समिति ने विचार–विमर्श किया एवं विचारोंपरान्त समिति द्वारा उक्त दोनों प्रवक्ता को प्रतिमाह रू0 10,750/– मात्र के नियत मानदेय संविदा के आधार पर नव संशोधित आदेश जारी करने की तिथि या उसके बाद से engage किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–4

यह बिन्दु अन्य बिन्दु संख्या 02 एवं 03 में समाहित है।

बिन्दु संख्या–5

डा0 गिरिलाल गुप्ता इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक हेल्थ एण्ड पब्लिक अफेयर्स मे एम.पी.एच. पाठ्यक्रम की शुल्क में वृद्धि {रू0 13500/– से बढ़ाकर रू0 25000/– प्रति सेमेस्टर} किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया एवं दूसरे

...2

व्यावसायिक कोर्स के समक्ष शुल्क निर्धारित किये जाने तथा अन्य उल्लिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत समिति ने निम्नानुसार शुल्क वृद्धि पर अनुमोदन प्रदान किया।

पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	वर्तमान शुल्क {प्रति सेमेस्टर}	स्वीकृत शुल्क {प्रति सेमेस्टर}
मास्टर आफ पब्लिक हेल्थ	2 वर्ष {चार सेमेस्टर}	रू0 13500/– प्रथम सेमेस्टर} शेष तीन सेमेस्टर के लिए प्रति सेमेस्टर रू0 13000/–	रू0 25500/–प्रथम सेमेस्टर शेष तीन सेमेस्टर के लिए प्रति सेमेस्टर रू0 25000/–

बिन्दु संख्या–6

समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार प्रोफेसर अकील अहमद के द्वारा दिये गये नये प्रस्ताव के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक/परास्नातक/प्रबन्धकीय/सर्टिफिकेट पाठ्यकमों में विदेशी छात्र/छात्रों से प्रस्तावित शिक्षण शुल्क लिए जाने पर विचार–विमर्श किया एवं समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से विदेशी छात्र/छात्राओं से निम्नानुसार शिक्षण शुल्क लिए जाने पर सहमति प्रदान की गयीः–

क्रम सं0	विवरण	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क*
01.	नियमित पाठ्यक्रम (Sponsored through ICCR, New Delhi)	बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम.	1000 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष
02.	नियमित पाठ्यक्रम (Sponsored through ICCR, New Delhi	एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम.	1200 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष
03.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम (Sponsored through ICCR, New Delhi	बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.एम.एस. इत्यादि	1000 यू.एस.डालर प्रति सेमेस्टर
04.	नियमित पाठ्यक्रम (Direct applicant)	बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम.	1200 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष
05.	नियमित पाठ्यक्रम (Direct applicant)	एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम.	2200 यू.एस.डालर प्रतिवर्ष
06.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम (Direct applicant)	बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.एम.एस. इत्यादि	2300 यू.एस.डालर प्रति सेमेस्टर
07.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम (Direct applicant)	एम.बी.ए. एम.सी.ए. एम.एम.एस.	2500 यू.एस. डालर प्रति सेमेस्टर
08.	सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु	हिन्दी/उर्दू एवं अन्य प्राच्य भाषा विभागों के अन्तर्गत सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	600 यू.एस. डालर
09.	शोध पाठ्यक्रम	पी.एच.डी./डी.लिट. इत्यादि	2500 यू.एस. डालर प्रतिवर्ष

***इसके अतिरिक्त अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार लिये जायेंगे।**

बिन्दु संख्या–7

समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलानुशासक/अपर कुलानुशासक/सहा0 कुलानुशासक/प्रवोस्ट/सहा. प्रवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रवोस्ट/चीफ प्रवोस्ट को मानदेय एवं दूरभाष की प्रतिपूर्ति की धनराशि पुनः निर्धारित करने पर विचार–विमर्श किया गया एवं विचारोंपरान्त समिति ने निम्नानुसार मानदेय दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान कीः–

क्रम संख्या	पदनाम	दूरभाष हेतु प्रतिपूर्ति		मानदेय	
		वर्तमान राशि	स्वीकृति राशि	वर्तमान राशि	स्वीकृति राशि
1.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	750/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह	400/– प्रतिमाह	2000/– प्रतिमाह

2.	सहा. अधिष्ठाता छात्र कल्याण	750/– प्रतिमाह	750/– प्रतिमाह	200/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह
3.	कुलानुशासक	1250/–प्रतिमाह	1500/– प्रतिमाह	400/– प्रतिमाह	2000/– प्रतिमाह
4.	अपर कुलानुशासक	750/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह	200/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह
5.	सहा0 कुलानुशासक	750/– प्रतिमाह	750/– प्रतिमाह	200/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह
6.	चीफ प्रवोस्ट	750/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह	400/– प्रतिमाह	2000/– प्रतिमाह
7.	अतिरिक्त चीफ प्रवोस्ट	750/– प्रतिमाह	750/– प्रतिमाह	300/– प्रतिमाह	1500/– प्रतिमाह
8.	प्रवोस्ट	750/– प्रतिमाह	750/– प्रतिमाह	200/– प्रतिमाह	1000/– प्रतिमाह
9.	सहा. प्रवोस्ट	–	500/– प्रतिमाह	150/– प्रतिमाह	750/– प्रतिमाह

बिन्दु संख्या–8

लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक/परास्नातक कक्षाओं में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के engagement के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता कला संकाय के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।

समिति ने प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया एवं शासनादेश संख्या 214/70–4/2000–7{7}/94 दिनांक 04 फरवरी 2000 में दिये गये आदेशों के अनुरूप प्रस्ताव में उल्लिखित आय–व्यय को ध्यान में रखते हुए तथा शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से निम्नानुसार उल्लिखित विवरण के अनुसार संविदा (contract) पर स्टाफ engage करने की स्वीकृति प्रदान की:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	मानदेय प्रतिमाह
01.	कांट्रेक्ट पर प्रवक्ता	दो	18,000.00
02.	कांट्रेक्ट पर लाइब्रेरी सहायक	एक	7,000.00
03.	कांट्रेक्ट पर लैब कम कार्यालय सहायक	एक	7,000.00

शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु उक्तानुसार स्वीकृत स्टाफ का engagement पूर्णतया अस्थायी होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन के नियमों के अन्तर्गत engage किये गये व्यक्तियों का उस पद पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

बिन्दु संख्या–9

चीफ प्रवोस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें छात्रावास में तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रू0 160/– प्रतिदिन दिये जाने पर विचार–विमर्श।

समिति ने उक्त बिन्दु को सर्वसम्मति से defer किया एवं निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत इस प्रकार के समस्त कर्मचारियों की संख्या एवं सम्बन्धित शासनादेशों सहित अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों एंव सुरक्षा प्रहरियों को वर्दी {ग्रीष्म कालीन} के स्थान पर नकद रू0 2000/– प्रति कर्मचारी की दर से भुगतान किये जाने की मॉग के सम्बन्ध में पूर्व में 20 फरवरी, 2006 को सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन के द्वारा दिये गये निम्न निर्देश:–

"विश्वविद्यालय के कर्मियों को जिन्हें वर्दी अनुमन्य है उन्हें वर्दी के एवज में वर्दी के समतुल्य नकद धनराशि दी जाए, जिससे कि कर्मी अपनी इच्छानुसार वर्दी का क्रय कर सके।"

के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को जिन्हें वर्दी अनुमन्य है {चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों एवं सुरक्षा प्रहरियों} को वर्दी के एवज में समिति ने सम्यक् विचारोंपरान्त उक्त उल्लिखित श्रेणी के कर्मचारियों को नियमानुसार देय वर्दी के एवज में रू0 950/– प्रति कर्मचारी दिये जाने पर सहमति प्रदान की।

....4

अन्य बिन्दु संख्या–2

अधिष्ठाता कला संकाय के द्वारा गृह विज्ञान स्ववित्त पोषित पांठ्यकम के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर रखे जाने पर शासनादेश संख्या 214/70–4/2000–7{7}/94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 के क्रम में विचार–विमर्श।

समिति ने प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया एवं शासनादेश संख्या 214/70–4/2000–7{7}/94 दिनांक 04 फरवरी 2000 में दिये गये आदेशों के अनुरूप प्रस्ताव में उल्लिखित आय–व्यय को ध्यान में रखते हुए तथा शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से निम्नानुसार उल्लिखित विवरण के अनुसार संविदा (contract) पर स्टाफ engagement करने की स्वीकृति प्रदान की:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	मानदेय प्रतिमाह
01.	कांट्रेक्ट पर लेक्चरर	एक	18,000.00
02.	कांट्रेक्ट पर कार्यालय कम कम्प्यूटर अस्सिटेन्ट	एक	7,000.00
03.	कांट्रेक्ट पर स्वीपर	एक	3,000.00

शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु उक्तानुसार स्वीकृत स्टाफ का engagement पूर्णतया अस्थायी होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन के नियमों के अन्तर्गत engage किये गये व्यक्तियों का उस पद पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अन्य बिन्दु संख्या–3

निदेशक, एम.बी.ई. स्ववित्त पोषित पाठ्यकम के द्वारा एम.बी.ई. स्ववित्त पोषित पाठ्यकम के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियत मानदेयं पर संविदा के आधार पर रखे जाने पर शासनादेश संख्या 214/70–4/2000–7{7}/94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 के क्रम में विचार–विमर्श।

समिति ने प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया एवं शासनादेश संख्या 214/70–4/2000–7{7}/94 दिनांक 04 फरवरी 2000 में दिये गये आदेशों के अनुरूप प्रस्ताव में उल्लिखित आय–व्यय को ध्यान में रखते हुए तथा शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से निम्नानुसार उल्लिखित विवरण के अनुसार स्टाफ engagement करने की स्वीकृति प्रदान की:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	मानदेय प्रतिमाह
01.	कांट्रेक्ट पर कार्यालय कम कम्प्यूटर अस्सिटेन्ट	एक	7,000.00
02.	कांट्रेक्ट पर बुकलिफ्टर	एक	3,000.00
03.	कांट्रेक्ट पर स्वीपर	एक	3,000.00

गैर शैक्षणिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु उक्तानुसार स्वीकृत स्टाफ का engagement पूर्णतया अस्थायी होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन के नियमों के अन्तर्गत engage किये गये व्यक्तियों का उस पद पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में वित्त समिति द्वारा दिनांक 03.06.2005 एवं कार्य परिषद द्वारा दिनांक 10.06.2005 के द्वारा अनुमोदित निम्न पदों पर मानदेय वृद्धि किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् मानदेय में वृद्धि अनुमोदित की गयी।

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	पूर्व से स्वीकृति मानदेय प्रतिमाह	वर्तमान में अनुमोदित मानदेय प्रतिमाह
01.	कांट्रेक्ट पर लेक्चरर	दो	10,750.00	18,000.00

शैक्षणिक कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु उक्तानुसार स्वीकृत स्टाफ का engagement पूर्णतया अस्थायी होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन के नियमों के अन्तर्गत engage किये गये व्यक्तियों का उस पद पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त उल्लिखित कर्मचारियों का engagement contract के आधार पर ग्यारह माह हेतु होगा। तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य एवं व्यवहार के विषय में दिये गये संस्तुति के आधार पर आवश्यकता के दृष्टिगत मा० कुलपति द्वारा उक्त अवधि के उपरान्त engage किये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

अन्य बिन्दु संख्या–4

लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ भेजे जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र शुल्क हेतु रू0 10,000/– मात्र शुल्क के रूप में लिये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.04.2009 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में डॉ0 मौलेन्दु मिश्रा, अध्यक्ष लुआक्टा के पत्र दिनांक 08.06.2010 द्वारा महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु उक्त धनराशि रु0 10,000/– विषय विशेषज्ञ शुल्क के रूप में महाविद्यालयों से शुल्क न लेने हेतु अनुरोध के सम्बन्ध में एवं उनके द्वारा दिये गये justification के आधार पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों {चाहे वह शासकीय अनुदान पर हैं या शासकीय अनुदान पर नहीं हैं} में प्रश्नगत विषय विशेष स्व वित्तपोषित है उस विषय विशेष हेतु विषय विशेषज्ञ भेजने हेतु शुल्क के रूप में रु0 10,000/– की धनराशि ली जायेगी।

बिन्दु संख्या–5

समिति ने निदेशक, पर्यटन अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के अन्तर्गत नये पाठयक्रम संचालित किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर पाठ्यक्रमों में लिए जाने वाले शुल्क पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया।

क्रम सं0	पाठ्यक्रम का नाम	कोर्स अवधि	सीट	स्वीकृति शुल्क प्रति सेमेस्टर
1.	मास्टर आफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन	2 वर्ष चार सेमेस्टर	50	25000/– {2000/– काशनमनी प्रथम बार}
2.	मास्टर आफ इवेन्ट मैनेजमेण्ट	2 वर्ष चार सेमेस्टर	60	37000/– {2000/– काशनमनी प्रथम बार}
3.	पी.जी.डिप्लोमा इन फ्रान्ट आफिस मैनेजमेण्ट	1 वर्ष दो सेमेस्टर	60	25000/– {2000/– काशनमनी प्रथम बार}
4.	डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन	1 वर्ष दो सेमेस्टर	60	20000/– {2000/– काशनमनी प्रथम बार}

उक्त में से पाठ्यक्रम संख्या 2,3 तथा 4 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हैं।

अन्त में मा0 अध्यक्ष जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न की गयी।

{प्रो0 एम. के. मिश्र}
कुलपति

{प्रो0 यू. एन. द्विवेदी}
प्रति–कुलपति

{ओ. पी. वर्मा}
विशेष सचिव {वित्त},
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

{अनीता मिश्रा}
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

{प्रो0 यशवीर त्यागी}
परीक्षा नियंत्रक

{जी. पी. त्रिपाठी}
कुलसचिव

22/7/10

{डा0 झूलन सिंह}
सचिव सदस्य